स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 384, दिनांकः 28–12–2024</u>

जनपद सम्भल के थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–393/2019 धारा 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28/12/2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना नखासा, जनपद सम्भल में पंजीकृत मु0अ0सं0–393/2019 धारा 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त जुबैर उर्फ जावेद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

जुबैर उर्फ जावेद पुत्र अबरार निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना नखासा जनपद सम्भल।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से बरादगीः–</u>

1– 01 अदद पिस्टल .30 बोर ।

2– 07 अदद जिन्दा कारतूस .30 बोर ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–</u>

खानपुर खुम्मार से ग्राम फिरोजपुर जाने वाले रोड, दिनांक 28–12–2024 समय 17.00 बजे ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 28–12–2024 को अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राशिद अली, मु0आ0 संदीप कुमार, नितिन, आरक्षी संजय यादव, मु0आ0 कमाण्डो विनोद कुमार, चालक मु0आ0 मनोज कुमार अवस्थी की टीम जनपद सम्भल में भ्रमणशील थी। इस दौरान थाना नखासा जनपद सम्भल में पंजीकृत मु0अ0सं0–393/2019 धारा 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त जुबैर उर्फ जावेद पुत्र अबरार के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा वांछित अभियुक्त जुबैर उर्फ जावेद को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 03–09–2019 को एक लड़की को तमंचा दिखाकर उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया था। इस घटना में इसका दोस्त आलम भी था। स्थानीय पुलिस द्वारा आलम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यह गिरफ्तारी से बचने के लिए सम्भल से फरार होकर सूरत, दिल्ली एवं बेलुवा कलियागंज जनपद अररिया, बिहार में काफी दिनों से किराये का मकान लेकर रहता था। 02 दिवस पहले ही किसी काम से सम्भल आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त जुबैर उर्फ जावेद उपरोक्त को थाना नखासा, जनपद सम्भल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2019 धारा 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना नखासा जनपद सम्भल द्वारा की जा रही है ।

आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 103/2018 धारा 379 भादवि थाना बनियाठेर जनपद सम्भल ।

2– मु0अ0सं0 105/2018 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 भादवि थाना बनियाठेर जनपद सम्भल ।

3– मु0अ0सं0 393/2019 धारा 376/511 भादवि व 3/18 पोक्सो थाना नखासा जनपद सम्भल ।

4– मु0अ0सं0–63/2020 धारा 174 क भादवि थाना नखासा जनपद सम्भल ।